MATTERS UNDER RULE 377

Title: Need to suitably compensate people displaced due to Subarnarekha Multi-Purpose project in Bihar

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : मैं सदन का ध्यान स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों में अविकसित क्षेत्रों में बिजली पैदा करना एवम् सिंचाई उपलब्ध करवाना था तथा इस परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। परंतु कार्य को धन के अभाव में बीच में छोड़ दिया है जिसके कारण कई गांव पानी में डूब जाते हैं। अभी तक विस्थापित परिवार को पुनर्वास की सुविधा भी नहीं मिल पाई है जबकि उनकी जमीन अधिग्रहीत हो गई है जो उनकी जीविका का साधन थी एवम् जो गांव डूबते हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस सिंचाई योजना के कारण लोगों का फायदा कम ओर नुकसान ज्यादा हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनको अभी तक भुगतान नहीं दिया गया है। विस्थापित परिवार के लोगों को अविलम्ब नौकरी दी जाए एवम् अनियमितताओं की जांच सांसदों की एक कमेटी बना कर कराई जाए।